

2056/27/6118

महत्वपूर्ण/समयबद्ध  
संख्या : 986/आठ-1-18-80विविध/2010

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,  
उ०प्र०।

2. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
उ०प्र०, लखनऊ।

3. समस्त जिलाधिकारी,  
उ०प्र०।

4. समस्त उपाध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2018

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन पार्टनरशिप मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1855/आठ-1-17-80विविध/2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग इन-पार्टनरशिप में ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ अभिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01 लाख भवनों के निर्माण के लक्ष्य का फॉट संलग्न कर प्रेषित किया गया था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण हेतु अभिकरणवार निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया गया है :-

(संख्या-हजार में)

क्रमांक	अभिकरणवार का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	योग
1	2	3	4	5	6
1	आवास विकास परिषद	45	60	15	120
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	13.5	18	4.5	36
3	कानपुर विकास प्राधिकरण	15	20	5	40

4	लखनऊ विकास प्राधिकरण	18	24	6	48
5	आगरा विकास प्राधिकरण	15	20	5	40
6	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	9.75	13	3.25	26
7	मेरठ विकास प्राधिकरण	3	4	1	8
8	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	7.5	10	2.5	20
9	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	4.5	6	1.5	12
10	बरेली विकास प्राधिकरण	1.5	2	.5	4
11	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2.25	3	.75	6
12	मथुरा-वृन्दावन वि० प्राधिकरण	2.25	3	.75	6
13	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2.25	3	.75	6
14	बांदा विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
15	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
16	फैजाबाद विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
17	फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण	1.2	1.6	.4	3.2
18	हापुड-पिलखुवा वि० प्राधिकरण	1.2	1.6	.4	3.2
19	झांसी विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
20	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
21	रायबरेली विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
22	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
23	उन्नाव विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
24	रामपुर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
25	उरई विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
26	खुर्जा विकास प्राधिकरण	0	0	0	0
27	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	.3	.4	.10	0.8
28	बागपत-बड़ौत खेकड़ा वि० प्रा०	.15	.2	.05	0.4
29	बस्ती विकास प्राधिकरण	.15	.2	.05	0.4
<b>योग</b>		<b>150</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>400</b>

3- कृपया उपर्युक्त लक्ष्य के अनुसार ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण का कार्य सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(नितिन रमेश गोकर्ण)**  
प्रमुख सचिव।

- 3 -

**संख्या:-986 (1)/आठ-1-18, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ०प्र० शासन को 61 महत्वपूर्ण प्राथमिकता के कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु।
5. निदेशक, सूडा, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
7. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०।
9. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
26/6/24  
(नितिन रमेश गोकर्ण)  
प्रमुख सचिव।  
R